न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज)

अपील संख्याः– 12/60/2025
कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2025/302

अपीलार्थीः–

श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री मदन मोहन, नि० बाबा मौहल्ला, कठूमर, अलवर (राज०)

प्रत्यर्थीः–

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, कठूमर, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रवेश तिथि :: 09.10.2025

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 10.12.2025

1. उभय पक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 20.08.2025 के परिपेक्ष्य में मिली सूचना से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 29.10.2025 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया एवं प्रत्यर्थी ने जवाब अपील क्रमांक लो०स०अ०/प्रथम अपील/2025/1205 दिनांक 08.12.2025 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है से अवगत कराया है कि अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांक 20.08.2025 के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गई सूचना से अपीलार्थी को पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/1124 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा बिन्दु सं० 2, 5, 8 की सूचना उपलब्ध कराई गई थी तथा प्रार्थना–पत्र में चाही गई शेष अन्य सूचना/प्रतिलिपी प्रश्नात्मक एवं सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत नये प्रारूप में सूचना उपलब्ध कराना एवं नयी सूचना का सृजन करना संभव नही होने के कारण अपीलार्थी को सूचना का विनिश्चय किया जा कर संसूचित किया गया है। प्रति संलग्न है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने योग्य है।
6. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा उनके पत्र क्रमांक आरटीआई/2025/1124 दिनांक 19.09.2025 के माध्यम से अपीलार्थी को विनिश्चय किया जाकर संसूचित किया जा चुका है जो उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
7. आज दिनांक 09.12.2025 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त
जिला कलक्टर प्रथम,
अलवर(राज.)